पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र माखपुरा औद्वोगिक क्षेत्र

Makhupura Industrial Area

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

अजमेर.-305 002 (राजस्थान)

दिनांक: 01.07.2022



THE STATE OF THE S

भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

> Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09001

Mine Code: 38RAJ0

संख्या : RAJ/CHT/LST-9/ Vol-II

प्रेषित : एजेंट, जय सुरजना चूना पत्थर खान

र्विड़ला सीमेंट वर्क्स (बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक ईकाई),

पोस्ट सीमेंट फैक्ट्री, सेक्टर III माधव नगर, चंदेरिया, जिला-चित्तौइगढ़ (राजस्थान) 312021

Email: kashi.singh@birlacorp.com, Narendra.menaria@birlacorp.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Jai Surjana Limestone Mine (M.L. 10/83, Lease area 588.59Hect) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 07.05.2022 by the undersigned in presence of Sh. Kashi Kant Sing, Agent(Mines) & Sh. Narendra Menaria, Sr. Manager(Geology).

Rule No.

Rule 11(1)

Rule 11(1)

Rule 11(1)

Rule 11(1)

Nature of violation observed in detail

The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified mining Plan (Approved on 19.07.2021): -

1) Benches have not been developed systematically as per approved proposal in Jai pit no.2

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेल द्वारा)।

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, चित्तोडगढ।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्युरो

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यरो